

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०-३जी०(बजट-आयोग)-१२५-०५/२०१०- 64

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना

पटना, दिनांक- 22-12-16

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थपना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹187.60 लाख एवं वेतनादि के अलावा ₹50.00 लाख अर्थात् कुल ₹237.60 लाख (दो करोड़ सैतीस लाख साठ हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत

स्वीकृत राशि गैर योजना अन्तर्गत बजट शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निर्देशन एवं प्रशासन-0003-राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्राथमिक इकाई 3104-सहायक अनुदान-वेतन एवं 3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मांग सं०-44 विपत्र कोड N-2225010010003 के अन्तर्गत विकलनीय है।

2- इस राशि की निकासी उप सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन से किया जायेगा तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक मुश्त राशि सचिव राज्य अनुसूचित जाति आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17-4-98 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

4- व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि का अलग से लेखा संधारण किया जायेगा एवं सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा से करेंगे।

5- इस प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

6- इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7- सचिव बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक- 31-3-2017 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे।

8- इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-३जी०(बजट-आयोग)-१२५-०५/२०१० 64 पटना, दिनांक- 22-12-16

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट) शाखा, कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/सचिव राज्य अनुसूचित जाति आयोग/उप सचिव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा० बजट शाखा/लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।